राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः– प. 9(25)राज–6/2014/126 जयपुर, दिनांक : 31.10.19

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकारी को भूमि हस्तांतरण करने के संबंध में।

विभाग के परिपत्र क्रमांक 6(42)राज/ख/58/ग्रुप–1 दिनांक 20.4.1961 द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि ग्राम पंचायत को देय लगान का 20 गुणा राशि के बराबर पूंजीगत मूल्य लिया जाकर आबादी विकास हेतु दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके पश्चात विभाग के परिपत्र क्रमांक प 6(17)राज/4/88/10 दिनांक 3.12.1988 द्वारा उक्त जारीा परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम को आबादीं विस्तार हेतु दी जाने वाली भूमि के संबंध में देय लगान का 20 गुणा राशि के बराबर पूंजीगत मूल्य के संदाय से मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जैसे कि शमशान, कब्रिस्तान, आदि हेतु भूमि दिये जाने के निर्देश दिये जाते रहे है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत भूमि अलग रखे जाने से ही स्थानीय प्राधिकारियों को भूमि पर अधिकार प्राप्त नही हो जाते है। ऐसी भूमियो पर स्थानीय निकायों को अधिकार राज्य सरकार द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अधीन रखने पर ही प्राप्त हो सकते है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 92 के तहत आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अलग रखी गई भूमि का उपयोग ग्राम पंचायतों या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब तक नही किया जा सकता है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा धारा 102क के तहत ऐसी भूमियों को उनके अधीन किये जाने के आदेश नहीं दिये जाते है। अतः ऐसी अलग रखी गई भूमियों का आवंटन संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को किए जाने के प्रस्ताव धारा 102क के तहत राज्य सरकार को प्रेषित किये जाए। धारा 102क के तहत भूमि आवंटन के पश्चात ही भूमि का नामांतरकरण नियमानुसार भरा जाए व नामांतरकरण स्वीकृति उपरान्त जमाबंदी में भूमि स्थानीय प्राधिकारी के नाम दर्ज की जाए।

भवदीय
31.10.19
(कमलेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner